



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvn@gmail.com |

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 246 /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी०

दिनांक 26 /03/2019

मुख्य अभियन्ता (वितरण)/ (सामग्री प्रबन्ध-1/11)
(तकनीकी)/ (वाणिज्य)/ (जानपद)/ (प्रशासन),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/आगरा-द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशाली अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

विषय :- Tax Invoice निर्गत करते समय GSTIN उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संज्ञान में आया है कि डिपोजिट कार्य के सापेक्ष टी०सी० निर्गत करते समय जब उपभोक्ताओं द्वारा धनराशि जमा कराई जाती है, तब उपभोक्ताओं से उनके GSTIN प्राप्त नहीं किये जाते हैं अथवा उपभोक्ताओं द्वारा उस समय उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं जिस कारण से Tax Invoice बिना GSTIN अंकित करे निर्गत कर दिये जाते हैं एवं उनको अपंजीकृत मानते हुए सूचनाएँ मुख्यालय प्रेषित कर दी जाती है जिसके आधार पर मुख्यालय द्वारा GSTR-1 दाखिल कर दिया जाता है, परन्तु बाद में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा GSTIN की जानकारी सम्बन्धित खण्ड में उपलब्ध करायी जाती है जिस कारण से अगले माह की मासिक विवरणी में संशोधन करने पड़ते हैं, एवं बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः इकाईयों द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि जो उपभोक्ता जी०एस०टी० में पंजीकृत हैं, उनसे धनराशि प्राप्त करते समय ही GSTIN प्राप्त कर लिये जायें, जिसके लिए इकाईयों द्वारा उपभोक्ता को टी०सी० निर्गत करते समय निम्न वाक्य लिखा जाना उचित होगा :-

“आवेदक/फर्म यदि GSTIN में पंजीकृत है, तो अपनी GSTIN प्रमाण-पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायें ताकि Tax Invoice जारी करते समय सम्बन्धित आवेदक/फर्म का GSTIN अंकित किया जा सके अन्यथा की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।”

उपभोक्ताओं से प्राप्त GSTIN को मासिक विवरणी में निर्धारित कॉलम में भरकर जी०एस०टी० प्रकोष्ठ को प्रतिमाह भेजा जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित इकाई स्वयं जिम्मेदार होंगी।

डिपोजिट कार्य के अतिरिक्त अन्य मदों में प्राप्त आय जिस पर उपभोक्ताओं से जी०एस०टी० प्राप्त किया जा रहा है, के सम्बन्ध में भी उपरोक्त दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।

(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी०/दिनांक /03/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
3. उप महाप्रबन्धक (वित्त), IPDS/RGGVY12th Plan/DDUGJY सौभाग्य योजना, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
6. समस्त अधिशाली अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।

(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)